

सशक्त कृषि संचार

‘प्रति बूंद, अधिक फसल’ का आधार

—उमाशंकर मिश्र एवं सुबोध कुमार

खेतों के लिए पानी जरूरी है, मगर कृषि प्रधान देश भारत में आज भी किसान बरसात के भरोसे पर ही रहते हैं। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार का ‘प्रति बूंद, अधिक फसल’ अभियान निश्चित तौर पर एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। मगर, सशक्त कृषि संचार के बिना इसके लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।

करीब 49 प्रतिशत भारत की श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हालांकि आर्थिक सर्वे 2014-15 के मुताबिक कृषि की विकास दर इस साल महज एक प्रतिशत ही थी। आर्थिक सर्वे में इन आंकड़ों के आधार पर सरकार के लिए भावी चुनौतियों का जिक्र किया गया है। वर्ष 2013-14 में 265.6 मीट्रिक टन अनाज उत्पादन हुआ था, जो इस साल फिसलकर 257.1 मीट्रिक टन पर पहुंच सकता है। यह सही है कि बीते साल में जून से लेकर सितंबर तक मानसून की बरसात करीब 12 प्रतिशत कम हुई थी।

मगर, कृषि विकास दर में हुई गिरावट को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि बढ़ती आबादी और शहरीकरण से भविष्य में खाद्यान्न संकट की आहट साफ सुनाई दे रही है।

कृषि एवं खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक समीक्षा में अनुसंधान, सिंचाई और भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय साझा बाजार





बनाने का भी आह्वान किया गया था। खेतों की सिंचाई के लिए बरसात पर निर्भरता आज भी भारत में कम नहीं हुई है। देश के शुद्ध बोए गए करीब 52 प्रतिशत भू-भाग की मात्र 28 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार कुल कृषि भूमि के लगभग 72 प्रतिशत भाग पर की जाने वाली कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। मानसून की बरसात भारत में काफी मायने रखती है, क्योंकि भारत की दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का 14 प्रतिशत योगदान बेहद अहम है। इसीलिए बरसात की उम्मीद करके और खेतों को प्यासा रखकर कृषि को रामभरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। देश की करीब आधी असिंचित भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं का प्रबंध किए बिना कृषि की बेहतरी का सपना देखना भी बेमानी है। कमजोर मानसून के कारण न केवल कृषि उत्पादन कम होता है, बल्कि महंगाई भी आसमान छूने लगती है। इस बार जैसे ही मौसम विभाग ने बेहतर मानसून रहने की भविष्यवाणी की, तो उधर आरबीआई ने भी रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया। जाहिर है अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र कहीं न कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और अर्थशास्त्री भी इस बात को मानते हैं कि कृषि की बेहतरी के बिना गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता।

कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण दो प्रमुख कारकों— मिट्टी और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री ने कृषि मंत्रालय की जैविक खेती योजना— 'परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्तपोषण और उसे सहायता देने का प्रस्ताव भी किया है।

बेशक उत्पादन बढ़ाकर ही खाद्यान्न की बढ़ती मांग की पूर्ति संभव है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिए बढ़ते भूमि अधिग्रहण तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती मौसम की अनिश्चितताओं के मद्देनजर खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। बदलते वक्त में किसान को स्मार्ट बनाने की जरूरत है, ताकि वो बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल सकें। इसके लिए कृषि संचार के सशक्त विकल्पों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कृषि संचार को प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। किसानों तक मोबाइल डिवाइसेज की पहुंच, उनके इस्तेमाल एवं विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, खेती-किसानी से जुड़ी सफलता की कहानियों का प्रेषण, नए प्रयोग एवं नई तकनीक की जानकारी डिजिटल प्लेटफार्म पर सुनिश्चित होनी चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इन चुनौतियों की ओर इशारा किया, बल्कि उससे निपटने के लिए प्रयोगशाला से खेत और 'प्रति बूंद, अधिक फसल' का नारा भी दिया। आजादी के 66 साल बाद भी हमारी खेती सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। बजट में सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को मजबूत बनाने के मकसद से सूक्ष्म सिंचाई, जल संभरण विकास और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के लिए 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन करके अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। आम बजट में सिंचाई योजना के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' पर जोर दिया गया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2015-16 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' का लक्ष्य हर एक किसान के खेत को सींचना और 'प्रति बूंद अधिक फसल' की व्यवस्था करने के लिए पानी का प्रभावी इस्तेमाल करना है। श्री जेटली ने राज्यों से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर योगदान देने का अनुरोध किया है। वित्तमंत्री ने कहा, हमारे किसानों के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता है।

अब जबकि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मानसून की अनिश्चितता और भी बढ़ गयी है। ऐसे में जलसंचय और उसकी एक-एक बूंद का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। कम समय और कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा फसल के जरिए ही अब उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के चलते उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार तो संभव ही नहीं है, उलटे वह कम ही होती जा रही है। मेहनत का पर्याप्त प्रतिफल न मिल पाने के कारण किसान तेजी से कृषि से मुंह मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह सोच बिलकुल सही है कि किसानों को मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलना चाहिए, ताकि उनकी जेब भर सके। यह तभी हो सकेगा, जब कृषि उत्पादन के साथ ही भंडारण, बाजार और वितरण की व्यवस्था भी बेहतर बनाई जाए। कम क्षेत्रफल में कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कैसे हो, यह खोजने और किसानों को बताने—समझाने का काम कृषि वैज्ञानिकों का ही है। इसीलिए श्री मोदी ने प्रयोगशाला से खेत की बात कही है। कृषि अनुसंधान पर भी अरसे से जोर दिया जाता रहा है, लेकिन हरितक्रांति के बाद उससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए अक्सर दूसरी हरितक्रांति की जरूरत पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे ही दूसरी श्वेतक्रांति की जरूरत भी बतायी जाती रही है। खेती और पशुपालन पारस्परिक रूप से एक-दूसरे पर आश्रित हैं। किसानों की आजीविका में इन दोनों

ही संसाधनों का अहम योगदान है। मगर, पानी की उपलब्धता के बिना न तो खेती संभव है और न ही पशुपालन।

‘प्रति बूंद-अधिक फसल’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे चीन की तरह औषधीय पौधों पर ध्यान केंद्रित करें। मौसम चक्र में बदलाव के मद्देनजर वर्षा जल संचयन और अन्य पहलुओं के जरिए जल संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के सुझावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्री मोदी ने कहा है कि ‘सुनिश्चित करें कि एक बूंद भी बर्बाद न हो, देश में जलसंकट से निपटने की आवश्यकता है, मौसमी चक्र में बदलाव के मद्देनजर जल प्रबंधन करें, आईसीएआर, समुद्री शैवाल के लिए व्यापक शोध और संवर्धन करे और आईसीएआर अगले 14 साल में ज्यादा उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करें।

दुनिया भर में औसत रूप से पानी की 70 प्रतिशत खपत कृषि में होती है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पानी कृषि क्षेत्र के संरक्षण के उपायों का केंद्रबिंदु होना चाहिए। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र ने सूखे को दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा माना है। आर्थिक दृष्टि से इसकी वार्षिक लागत 6-8 बिलियन डॉलर आंकी गई है और मानवीय दृष्टि से सूखे ने सन् 1900 से लेकर अब तक दो बिलियन लोगों को प्रभावित किया है। इस दौरान करीब 11 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु सूखे के कारण हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा असुरक्षित है। सूखे के प्रभावित क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और मध्य-पूर्व के देश मुख्य रूप से शामिल हैं। इसरो के मुताबिक दो सदी से भी अधिक समय (1801 से 2002) के बीच भारत में 42 बार भीषण सूखा पड़ चुका है। इनमें से एक सूखा 1979 में पड़ा था, जिसके कारण

खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। जबकि 1987 में पड़े सूखे के कारण 58.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि बेकार हो गई और करीब 285 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। पिछले दशक (2002-2012) के दौरान देश को तीन बार भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। 2013 की विश्व बैंक रिपोर्ट में भी माना गया है कि 2012 में सूखे के कारण भारत की जीडीपी में भारी गिरावट हुई थी।

भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, जिसके 92.2 प्रतिशत के भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। लगभग 51 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत आता है, जबकि लगभग 4 प्रतिशत भूमि पर चारागाह, 21 प्रतिशत भूमि पर वन तथा 24 प्रतिशत भूमि बंजर अथवा बिना किसी उपयोग की है। 24 प्रतिशत बंजर भूमि में 5 प्रतिशत परती भूमि भी शामिल है, जिसमें प्रतिवर्ष फसलें न बोकर तीसरे या पांचवें वर्ष बोयी जाती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता संचित हो सके। इस शुद्ध बोए गए 52 प्रतिशत भू-भाग के मात्र 28 प्रतिशत भाग अर्थात् 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, जबकि देश का समस्त सिंचित क्षेत्र 8 करोड़ हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल कृषि भूमि के लगभग 72 प्रतिशत भाग पर की जाने वाली कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर सिंचाई के छोटे साधनों- कुएं, तालाब, झीलें, जलाशय, बांध, नलकूप, मिट्टी के कच्चे बांध, नल तथा जल स्रोतों द्वारा सिंचाई की जाती है। शेष भाग की सिंचाई बड़े साधनों, यथा- नहरों, नालियों आदि के माध्यम से की जाती है। भारत में सूखा और सिंचाई सुविधाओं की बात इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इनमें से 58 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं। इनमें बहुसंख्य आबादी

गरीबी-रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले किसानों की है। रंगराजन समिति के मुताबिक भारत की कुल आबादी के 29.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं। समाज के इन वंचित वर्गों को विकास की धारा में शामिल किए बिना समावेशी विकास और सशक्त लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

दुनिया के कई हिस्सों में सूखा-प्रतिरोधी जीई फसल की किस्में विकास प्रक्रिया में से उभर कर आ रही हैं। पिछले दो दशकों में ऐसी फसलों की खेती लगभग 30 देशों के 17 मिलियन से अधिक किसानों द्वारा 1.5 बिलियन हेक्टेयर रकबे में की गई है। हालांकि दुनिया भर में कृषि में जीई यानी





जेनेटिक इंजीनियरिंग को अनुसंधान और विकास कार्य में कार्यकर्ताओं के प्रतिरोध और सरकार के अत्यधिक विनियमन के फलस्वरूप बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। जबकि जेनेटिक फसलों के उपयोग से पानी के किफायती उपयोग और बेहतर आर्थिक मुनाफे का दावा करने वाले भी कम लोग नहीं हैं। दुनिया भर में सिंचित भूमि का एक-तिहाई भाग नमक की उपस्थिति के कारण फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त नहीं बचता है। वैज्ञानिकों ने टमाटर और कनोला जैसी विविध प्रकार की फसलों में नमक की सहिष्णुता में वृद्धि की है। दावा किया जाता है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे खारी मिट्टी में विकसित हो सकते हैं और उनकी खारे पानी से सिंचाई की जा सकती है, जिससे ताजे जल का अन्य उपयोगों के लिए संरक्षण किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा एक प्रमुख खतरा पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रकृति के बनाए हुए पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बिगाड़ कर रख सकती है। इन तमाम सवालों को संतुलित ढंग से आम जनमानस तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि बाजार और सरकार की कोई भी जनविरोधी नीति लोगों को गुमराह न कर सके। इस काम को पूरा करने के लिए कृषि संचार के संसाधनों को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।

जैसे-जैसे जल की कमी बढ़ेगी, सूखे से प्रभावित फसलें सूखने लगेंगी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसके फलस्वरूप लोचदार कृषि की आवश्यकता और अधिक हो जाएगी। ऐसे में अधिक तर्कसंगत सार्वजनिक नीति के साथ,

हम उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। 'प्रति बूंद, अधिक फसल' का संदेश साफ है कि पानी का कुशलता से खेती में उपयोग किया जाए। इसके लिए सिंचाई के संसाधनों, तकनीकों और जल-संरक्षण के उपायों की किसानों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है। लेकिन अब तक का सबक यही रहा है कि सही सूचनाओं, उपयुक्त तकनीक और बदलते वक्त की जरूरतों की जानकारी के अभाव में हमारे किसान पिछड़े हुए हैं। किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए उन तक योजनाओं की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। किसानों को सूचना से सशक्त बनाने में गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सामुदायिक रेडियो, समाचार-पत्रों, परिचर्चा, वर्कशॉप, डॉक्युमेंट्री जैसे संचार उपक्रमों की भूमिका काफी अहम साबित हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को माना है कि देश की जनता तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों को अपने यहां रेडियो स्टेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील किसान और कृषि शोध में लगे विद्वानों को मिलकर अच्छा समूह बनाने की बात भी कही है। इसके अलावा उन्होंने आईसीएआर को अगले चार-पांच वर्षों के दौरान देश में सभी कृषि शोधों के आंकड़ों का डिजिटलीकरण करने के लिए भी कहा है। इन प्रयासों से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लेखक क्रमशः वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (कोटा) में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के शोधार्थी एवं संयोजक हैं।
ई-मेल : Email : skumar@vmou-ac-in